

## विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 2019 (पौष 27, 1940)

क्रमांक 507 /म.प्र.वि.स.-15/विधान/2019—राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 16 जनवरी, 2019 सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिए आमंत्रित करती हूँ:

भोपाल :  
दिनांक : 16 जनवरी, 2019

आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

क्रमांक 508 /म.प्र.वि.स.-15/विधान/2019

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2019 (पौष 27, 1940)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:—

मध्यप्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्य;

मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, भोपाल;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव, भोपाल;

समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश;

समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;

महालोखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर;

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल;

जिला दण्डाधिकारी, भोपाल;

समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;

उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज;

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), भोपाल संधारण संभाग-एक, भोपाल;

महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली;

महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली;

भारत के समस्त विधान मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव;

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001.

सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली; और

सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90-संसद् भवन, नई दिल्ली.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.